FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं SDO. मुकाम बाड़मेर

चेनाराम बनाम हनुमानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा वा० क्रमांक 111,128 RCRACT नं. 16/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RCRACT राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/02/19 को पेश हो।	
25/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल आम तामिल अप्राप्त। सीमान पीठासीन अधिकारी डिगर ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इन्तिजार होकर आगामी दिनांक 28/05/19 को पेश हो।	
28/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/06/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

18/06/19 प्रार्थी व वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेष्यम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेष्यमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नेष्यमबन्दी आदेश कीया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेष्यमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेष्यमबन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होवे।

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 350 दिनांक - 18/06/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चेनाराम पुत्र धर्माराम वगैरा 2 जाति जाट निवासी मानपुरा खारड़ा पटवार हल्का गिडा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1.हडमानराम पुत्र भलाराम वगैरा 12 जाति जाट निवासी मानपुरा खारड़ा पटवार हल्का गिडा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 16 / 19

आदेश

मौजा ग्राम मानपुरा खारड़ा व रामपुरा खारड़ा पटवार हल्का गिडा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 286,334 / 198, 335 / 216, 106 व 110 रकबा 12–17, 28–14, 40–01,15–04 व 31–06 बीघा की भुमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वें स्वंय या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

क्रमांक / वाद / 2019 / 351 – 355 दिनांक : 18/06/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीहलदार गिड़ा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण चेनाराम पुत्र धर्माराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हडमानराम पुत्र भलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner